

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2019/117

दिनांक 01.3.19

:- आदेश :-

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से वर्ष 2016-17 व 2017-18 में चयनित है, को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ. ( )/डीओपी/ए-11/86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को एक वर्ष का परीविक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की लेवल इन पे मेट्रिक एल-14 स्वीकृत की जाती है :-

क्र.स.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	चि. अ. के पद पर परीविक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	नियमित वेतन श्रृंखला देय तिथि
1.	डॉ. अमित गोयल	10.07.1986	12.08.2017	11.08.2018	12.08.2018
2.	डॉ. अर्पित कलाल	07.07.1991	05.10.2017	04.10.2018	05.10.2018
3.	डॉ. राहुल डिण्डोर	16.03.1990	17.07.2017	16.07.2018	17.07.2018
4.	डॉ. निखिल गाँधी	01.08.1990	17.07.2017	16.07.2018	17.07.2018
5.	डॉ. निलेश यादव	19.02.1990	24.07.2017	23.07.2018	24.07.2018
6.	डॉ. दीपक कुमार कटारा	20.02.1989	26.07.2017	25.07.2018	26.07.2018
7.	डॉ. स्तुति श्रीवास्तव	20.04.1991	29.09.2017	28.09.2018	29.09.2018
8.	डॉ. हरिशंकर यादव	14.03.1990	17.08.2017	16.08.2018	17.08.2018
9.	डॉ. सुनील चौधरी	01.12.1990	12.07.2017	11.07.2018	12.07.2018
10.	डॉ. मनजीत सिंह कविया	15.05.1988	14.07.2017	13.07.2018	14.07.2018
11.	डॉ. पल्लवी चौधरी	29.11.1985	02.06.2017	01.06.2018	02.06.2018
12.	डॉ. नीतू	06.07.1986	28.07.2017	03.10.2018 (98 EOL)	04.10.2018
13.	डॉ. मेघना नैण	11.09.1987	04.10.2017	12.10.2018 (39 EOL)	13.10.2018
14.	डॉ. नाजिया परवीन अंसारी	15.04.1990	28.07.2017	27.07.2018	28.07.2018


निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित / डीपीसी / 2019 / 117

दिनांक 01.3.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करे।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
6. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
7. आदेश / रक्षित पत्रावली।

  
1/3/19

निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर

93